न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 08/2017

हीरालाल पुत्र स्व रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण,एच.एम.टी. के सामने, सुन्दर नगर, अजमेर।

.............अपीलार्थी

बनाम

.........प्रत्यर्थी

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला–अजमेर (राज0)

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

दिनांक – 23.08.2017

आदेश

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 05.04.2017 (क्रम संख्या 1052) द्वारा राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र 2.2.2015 की समावेशन सूची "अ" (exclusion) श्रेणी में सम्मलित नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की गई है जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय मूल रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील अनुसार कोई ठोस साक्ष्य एवं आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। अतः अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

Scanned by CamScanner